न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

धनपाल माली बनाम जीतराम
प्रार्थना पत्र संख्या– 02/25/2024

19.01.2024

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान आराजी खसरा संख्या 1514/0.22 वाके ग्राम राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी में किसी प्रकार से अतिक्रमण न करे किसी भी प्रकार से दीगर व्यक्ति को रहन बय न करें ना ही प्रतिवादी संख्या 02 के समक्ष दस्तावेज पेश होने पर पंजीबद्ध न करें। अन्त में विवादित आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि विवादित आराजी प्रार्थी के पिता जीतराम रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि के संबंध में सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में अप्राथीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि *विवादित आराजी खसरा संख्या 1514/0.22 वाके ग्राम राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थित बनाये रखें।* अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबध में अप्रार्थीगण कोई आक्षेप हो तो दिनांक 04.03.2024 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

04/03/24 पत्रावली पेश वकील प्रार्थी उप. प्रति. नं. 1 बाद सुचना तामील उप. नही उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। वास्ते तलबी 2 लगा. 6 दि. 3/6/24 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
SDO

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
08/10/25 पत्रावली पेश । वकील प्रार्थी० उप० । वास्ते तलबी हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर दिनांक 4/11/25 को पेश हो । Sd/- SDO. 04-11-25 पत्रावली पेश। मूलवाद 09RS non-compliance के तहत खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र 212 RT Act की कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो कर मूलवाद के साथ संलग्न हो। Sd/-	

ख
म

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

8/9/25 प्रमाणित/पेशी

पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 3/11/25 को पेश हो।

रीडर

8/9/25 पत्रावली एकजाई पेशी में पेश। वास्ते तलबी 2 लगा. 6 हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली 8/10/25 को पेश हो।

SDO

8/10/25
पत्रावली पेश। वास्ते तलबी 2 लगा. 6. हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली 5/11/25 को पेश हो।

SDO.

05.11.25
पत्रावली पेश। वकील वादी उप.। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि पत्रावली लम्बे समय से तलबी के अन्तर्गत विचाराधीन है। अतः पत्रावली 09 RS non-compliance के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर जमा हो।

SDO